

## स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

## मांग संख्या 47

## आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष)

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट 2009-2010			संशोधित 2009-2010			बजट 2010-2011			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व पूंजी जोड़	731.75 2.25 734.00	188.00 ... 188.00	919.75 2.25 922.00	679.25 0.75 680.00	183.00 ... 183.00	862.25 0.75 863.00	797.50 2.50 800.00	164.00 ... 164.00	961.50 2.50 964.00	
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं चिकित्सा और जन स्वास्थ्य आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी	2251	10.06	0.80	10.86	10.85	0.77	11.62	11.00	0.75	11.75
2. आयुर्वेद										
2.1 केंद्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद	2210	53.00	81.00	134.00	53.00	79.50	132.50	53.50	74.00	127.50
2.2 राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर	2210	12.00	17.31	29.31	12.00	16.81	28.81	12.00	16.00	28.00
2.3 अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, दिल्ली	2210	10.00	...	10.00	5.00	...	5.00	25.00	...	25.00
2.4 अन्य स्कीमें	2210	11.05	17.27	28.32	11.05	16.87	27.92	11.05	14.15	25.20
जोड़		86.05	115.58	201.63	81.05	113.18	194.23	101.55	104.15	205.70
3. होम्योपैथी										
3.1 केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद	2210	26.87	14.00	40.87	27.92	13.65	41.57	28.57	12.00	40.57
3.2 राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता	2210	20.00	2.07	22.07	20.00	1.87	21.87	20.00	1.95	21.95
3.3 अन्य स्कीमें	2210	1.16	5.54	6.70	1.02	4.73	5.75	1.16	4.80	5.96
जोड़		48.03	21.61	69.64	48.94	20.25	69.19	49.73	18.75	68.48
4. यूनानी										
4.1 केंद्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान परिषद	2210	27.85	40.00	67.85	27.85	39.40	67.25	30.39	31.07	61.46
4.2 राष्ट्रीय यूनानी औषधि संस्थान	2210	11.00	...	11.00	11.00	...	11.00	11.00	...	11.00
जोड़		38.85	40.00	78.85	38.85	39.40	78.25	41.39	31.07	72.46
5. योग और प्राकृतिक चिकित्सा										
5.1 मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान	2210	3.80	3.80	7.60	3.80	3.75	7.55	3.80	3.50	7.30
5.2 केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद	2210	11.25	1.75	13.00	11.25	1.65	12.90	11.50	1.50	13.00
5.3 अन्य स्कीमें	2210	5.30	...	5.30	5.30	...	5.30	5.30	...	5.30
जोड़		20.35	5.55	25.90	20.35	5.40	25.75	20.60	5.00	25.60
6. राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड	2210	44.00	...	44.00	31.00	...	31.00	44.00	...	44.00
7. आयुष उद्योग समूहों के लिए सामान्य सुविधाओं का विकास	2210	22.50	...	22.50	9.00	...	9.00	25.00	...	25.00
8. आयुष की अन्य स्कीमें										
8.1 सूचना, शिक्षा और संचार	2210	27.00	...	27.00	27.32	...	27.32	27.00	...	27.00
8.2 अतिरिक्त 'मुराल' अनुसंधान परियोजनाएं	2210	5.50	...	5.50	4.00	...	4.00	5.50	...	5.50
8.3 आयुष शिक्षा/औषध विकास एवं अनुसंधान/ नैदानिक अनुसंधान/देशी औषधियों आदि में संलग्न गैर-सरकारी/ निजी क्षेत्र में उत्कृष्ट/ प्रत्यायित आयुष केंद्रों को सहायता	2210	20.00	...	20.00	10.00	...	10.00	22.50	...	22.50

सं.47/ आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी विभाग

		(करोड़ रुपए)									
मुख्य शीर्ष		बजट 2009-2010			संशोधित 2009-2010			बजट 2010-2011			
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
8.4	विशिष्ट नैदानिक केंद्रों/आईपीडी की स्थापना के लिए सरकारी-निजी भागीदारी	2210	7.00	...	7.00	2.00	...	2.00	7.00	...	7.00
8.5	राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान	2210	13.00	...	13.00	13.00	...	13.00	13.00	...	13.00
8.6	अन्य कार्यक्रम	2210	53.51	4.46	57.97	35.71	4.00	39.71	53.93	4.28	58.21
		4210	2.25	...	2.25	0.75	...	0.75	1.50	...	1.50
	जोड़		128.26	4.46	132.72	92.78	4.00	96.78	130.43	4.28	134.71
9.	आयुष संस्थाओं का विकास	2210	40.00	...	40.00	17.00	...	17.00	40.00	...	40.00
10.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम)										
10.01	अस्पताल और औषधालय	2210	176.00	...	176.00	201.73	...	201.73	...	...	...
10.02	आयुष अस्पतालों और औषधालयों का विकास एवं आयुष को मुख्य धारा में लाना	2210	...	...	...	...	...	...	208.50	...	208.50
	<b>जोड़-राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम)</b>		<b>176.00</b>	...	<b>176.00</b>	<b>201.73</b>	...	<b>201.73</b>	<b>208.50</b>	...	<b>208.50</b>
11.	आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी औषधियों का गुणवत्ता नियंत्रण	2210	4.50	...	4.50	0.45	...	0.45	4.50	...	4.50
12.	औषधियों पौधों का राष्ट्रीय मिशन	2210	42.00	...	42.00	60.00	...	60.00	42.30	...	42.30
	<b>जोड़-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य</b>		<b>650.54</b>	<b>187.20</b>	<b>837.74</b>	<b>601.15</b>	<b>182.23</b>	<b>783.38</b>	<b>708.00</b>	<b>163.25</b>	<b>871.25</b>
13.	पूर्वोत्तर क्षेत्रों और सिक्किम के हित की परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान										
13.01	राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड	2552	6.00	...	6.00	9.00	...	9.00	6.00	...	6.00
13.02	उत्तर-पूर्वी आयुष/देशी औषधि संस्थान	2552	13.00	...	13.00	6.60	...	6.60	20.00	...	20.00
13.03	आयुष संस्थाओं का विकास	2552	5.00	...	5.00	3.00	...	3.00	5.00	...	5.00
13.04	औषध गुणवत्ता नियंत्रण	2552	0.50	...	0.50	0.05	...	0.05	0.50	...	0.50
13.05	एनआरएचएम के अन्तर्गत स्कीमें										
13.05.01	अस्पताल एवं औषधालय	2552	21.00	...	21.00	22.32	...	22.32	...	...	...
13.05.02	आयुष अस्पतालों और औषधालयों का विकास एवं आयुष को मुख्य धारा में लाना	2552	...	...	...	...	...	...	23.50	...	23.50
13.06	औषधियों पौधों का राष्ट्रीय मिशन	2552	8.00	...	8.00	10.00	...	10.00	7.70	...	7.70
13.07	अनुसंधान परिषदें	2552	14.40	...	14.40	13.35	...	13.35	11.80	...	11.80
13.08	सूचना शिक्षा और प्रचार	2552	3.00	...	3.00	2.68	...	2.68	3.00	...	3.00
13.09	आयुष उद्योग समूहों के लिए सामान्य सुविधा विकास	2552	2.50	...	2.50	1.00	...	1.00	...	...	...
13.10	आयुष शिक्षा/औषधी विकास एवं अनुसंधान/नैदानिक अनुसंधान/लोक औषधियों आदि कार्यों में लगे गैर-सरकारी/प्राइवेट क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त प्रौद्योगिक आयुष केंद्रों को सहायता	2552	...	...	...	...	...	...	2.50	...	2.50
	<b>जोड़ - पूर्वोत्तर क्षेत्र</b>		<b>73.40</b>	...	<b>73.40</b>	<b>68.00</b>	...	<b>68.00</b>	<b>80.00</b>	...	<b>80.00</b>
14.	सरकारी उद्यमों में निवेश - आईएमपीसी लि.	4210	...	...	...	...	...	...	1.00	...	1.00
	<b>कुल जोड़</b>		<b>734.00</b>	<b>188.00</b>	<b>922.00</b>	<b>680.00</b>	<b>183.00</b>	<b>863.00</b>	<b>800.00</b>	<b>164.00</b>	<b>964.00</b>

ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट 2009-2010			संशोधित 2009-2010			बजट 2010-2011		
		बजट समर्थन	आ.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आ.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आ.ब.बा.सं.	जोड़
1. इंडियन मेडीसिन फार्मास्युटिकल कारपोरेशन	22210	...	...	...	...	...	...	1.00	...	1.00
<b>ग. आयोजना परिव्यय</b>										
1. चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	22210	660.60	...	660.60	612.00	...	612.00	720.00	...	720.00
2. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	22552	73.40	...	73.40	68.00	...	68.00	80.00	...	80.00
<b>जोड़</b>		<b>734.00</b>	...	<b>734.00</b>	<b>680.00</b>	...	<b>680.00</b>	<b>800.00</b>	...	<b>800.00</b>

1. **सचिवालय-सामाजिक-सेवाएं:** आयुष विभाग के लिए सचिवालय सेवा उपलब्ध कराती है।

2. **आयुर्वेद:** इसमें (i) आयुर्वेद में विकास एवं अनुसंधान हेतु केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद (ii) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर, जो अध्यापन, प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा रोगी परिचर्या के लिए आदर्श संस्थान के रूप में सेवा देता है (iii) अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान। **अन्य स्कीमों** में निम्नलिखित के लिए प्रावधान किया गया है (iv) गुजरात आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के घटक स्नातकोत्तर प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, जामनगर को अनुदानसहायता तथा (v) राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, नई दिल्ली।

3. **होम्योपैथी:** इसमें (i) केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद् के लिए अनुदान (ii) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता, जो स्वायत्त संगठन है के लिए अनुदान और होम्योपैथिक स्नातकोत्तर कॉलेजों के उन्नयनार्थ अनुदान शामिल हैं। अन्य स्कीमों के अंतर्गत निम्नलिखित हेतु प्रावधान है (iii) होम्योपैथिक फार्माकोपियल लेबोरेटरी, गाजियाबाद, विभाग के अंतर्गत एक अधीनस्थ कार्यालय है। (iv) केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्, एक सांविधिक निकाय और होमियोपैथिक फार्माकोपियल समिति है।

4. **यूनानी:** इसमें (i) केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद् तथा (ii) राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बंगलौर (अध्यापन, प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा जन स्वास्थ्य परिचर्या का एक आदर्श संस्थान) जो सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित स्वायत्त संगठन है, के लिए प्रावधान शामिल है।

5. **योग और प्राकृतिक चिकित्सा:** इसमें (i) मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली (ii) केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली, तथा 'अन्य स्कीम' के अंतर्गत (iii) राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे को अनुदान हेतु प्रावधान शामिल है।

6. **राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड:** राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड ने आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी औषधियों के विनिर्माण हेतु सुनिश्चित गुणवत्तायुक्त कच्ची सामग्रियां उपलब्ध करने हेतु औषधीय पादपों के स्व:स्थाने संरक्षण और बाह्य:स्थाने कृषि को प्रोत्साहित कराने के उद्देश्य से संवर्धनात्मक और संविदात्मक कृषि स्कीम प्रारंभ की है। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड की पहल पर उच्च प्राथमिकता वाले औषधीय पादपों की कृषि को गति प्रदान करने के लिए 27 राज्यों और 5 संघ राज्य क्षेत्रों में अभी तक 32 राज्य औषधीय बोर्डों का गठन किया गया है।

7. **आयुष उद्योग समूहार्थ साझा सुविधाओं का विकास:** यह योजना आयुष उद्योगों की सामूहिक अवस्थिति पर कच्ची सामग्रियों के मानकीकरण और तैयार माल के गुणवत्ता नियंत्रण हेतु सुविधाओं के सृजन के लिए है।

8. **आयुष की 'अन्य स्कीमों':** (i) सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी), (ii) अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से अतिरिक्त भित्ति चित्र अनुसंधान परियोजनाएं, (iii) आयुष शिक्षा/औषधि विकास और अनुसंधान/नैदानिक अनुसंधान/लोक कल्याण औषधि आदि में कार्यरत गैर-सरकारी/प्राइवेट क्षेत्र में आयुष के उत्कृष्ट केंद्रों को सहायता, (iv) विद्यमान आयुष अस्पतालों में विशिष्टता प्राप्त निदानगृहों/आईपीडी की स्थापना के लिए पब्लिक प्राइवेट भागीदारी हेतु आयुष अस्पतालों और औषधालयों की स्कीम में अतिरिक्त संघटक स्थापित करना, (v) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्ध, चैन्नई/'अन्य कार्यक्रमों' में (vi) औषधालयों में सीजीएचएस का विस्तार, (vii) केंद्रीय परिषद संयुक्त भवन कम्प्लेक्स के लिए अनुदान (viii) अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय कार्यक्रम (ix) टीकेडीएल और सांख्यिक संस्थाएं नामतः (x) भारतीय केंद्रीय औषधि परिषद (सीसीआईएम) और (xi) एएसयू संबंधी फार्माकोपोयल समिति का उन्नयन एवं एक समान फार्माकोपोयल आयोग का सृजन इसके

अलावा, इसमें में भी शामिल (xii) पी.एल.आई.एम. गाजियाबाद, विभाग के अंतर्गत एक अधीनस्थ कार्यालय (xiii) आयुष प्रणाली के उपयोग एवं स्वीकार्यता पर सर्वेक्षण (xiv) बाजार विकास/कार्यशालाओं/संगोष्ठियों/सम्मेलनों/प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों/मार्ग प्रदर्शनों आदि सहित आयुष के संवर्धन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रमों के लिए सहायता (xv) आयुष कार्मिकों का पुनःअभिमुखता प्रशिक्षण कार्यक्रम/सतत चिकित्सा शिक्षा (xvi) स्थानीय स्वास्थ्य परंपराओं/प्रसूति विद्या संबंधी रीतियों बोन सेटर्स पशुचिकित्सा परिचर्या आदि के लिए गैर-सरकारी संगठनों का निधियन (xvii) पाठ्य पुस्तकों और हस्तलिखित प्रतियों के अधिग्रहण, सूचीकरण, अंकीकरण, और प्रकाशन की स्कीम के लिए प्रावधान है।

9. **आयुष संस्थानों का विकास:** इस योजना के अंतर्गत आयुष के स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर कॉलेजों को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (सीसीआईएम)/केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद (सीसीएच) द्वारा निर्धारित मानकों को प्राप्त करने और उनकी अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

10. **राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम):** आयुष अस्पताल व औषधालय के विकास तथा आयुष को मुख्य धारा में लाने के लिए एनआरएचएम के अंतर्गत पीएचसी/सीएचसी/जिला अस्पतालों में आयुष सुविधाओं का सृजन करते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिचर्या नेटवर्क में आयुष को समेकित करने के लिए राज्य को सहायता दी जाती रहेगी। चालू योजना सितम्बर, 2009 में संशोधित की गई थी जिनके तीन मुख्य घटक हैं, नामतः (i) सुविधाओं तथा आवश्यक औषधियों व दवाओं की आपूर्ति के उन्नयन के लिए मानदंड के संशोधन के साथ पीएससी/सीएचपी/जिला अस्पतालों में आयुष सुविधाओं के सह स्थान को जारी रखना (ii) नवीकरण, अतिरिक्त निर्माण, उपस्कर प्राप्ति, आवश्यक दवाओं के लिए अनुदान के प्रावधान द्वारा विद्यमान आयुष अस्पतालों और औषधालयों में सुविधाओं का उन्नयन एवं आवश्यकता के लिए प्रावधान और (iii) नवीकरण, अतिरिक्त निर्माण, उपस्कर प्राप्ति के लिए अनुदान के प्रावधान तथा आर्थिक क्षमता अंतर वित्त पोषण द्वारा सार्वजनिक-निजी भागीदारी के अंतर्गत तृतीय आयुष स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं का संवर्धन।

11. **आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी व होम्योपैथिक औषधियों का गुणवत्ता नियंत्रण:** इस केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत, राज्यों को उनकी राज्य औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं/राज्य फार्मेशियों के उन्नयन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी विनिर्माण इकाईयों को अच्छी विनिर्माण पद्धति का अनुपालन करने के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है।

12. **राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन :** केंद्र प्रायोजित स्कीम में वित्तीय आवंटन के उप घटक होंगे, 75000 हेक्टेयर पर प्राथमिकता प्राप्त चिकित्सीय पौधों की प्रजातियों की खेती; 50 लाख बीजांकुरों तैयार करना, प्राथमिकता प्राप्त औषधीय पौधों की जातियों को प्राथमिकता देने के लिए खेती की सामग्रियों की कृषि हेतु नर्सरी और विकेंद्रीकृत बीज केंद्र का गठन, देश के छह एग्रो-क्लोमेटिक दोनों में औषधीय पौधे जोनों की स्थापना करना; और पौध निर्माण और विपणन के जोनों के लिए बाजार विकास सहायता निधि।

13. **उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लिए प्रावधान :** केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमों और केंद्र प्रायोजित स्कीमों के लिए 30.00 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।

14. **सार्वजनिक उद्यमों में निवेश :** आयुष संस्थानों, आदि को आयुर्वेद तथा यूनानी औषधियों की सप्लाई के लिए भारतीय औषध फार्मास्युटिकल निगम लिमिटेड, रानीखेत कुमाऊं मंडल विकास निगम (उत्तरांचल सरकार का उपक्रम) के साथ एक संयुक्त उद्यम है।

सं.47/ आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी विभाग